झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांकः– रा0खा0आ0 (विविध)–04 / 2023 - 322

प्रेषक,

हिमांशु शेखर चौधरी
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः– 10. 5. 2023

विषयः– परिवादी श्री सुरेश महतो के परिवाद–पत्र में वर्णित आरोपों के जाँच कर कार्रवाई करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में परिवादी श्री सुरेश महतो का परिवाद पत्र निबंधित डाक के माध्यम से आयोग को प्राप्त है। परिवादी द्वारा देवघर, गिरिडीह एवं सरायकेला–खरसावां जिलों के FCI से JSFC गोदाम तक अनाज की ढुलाई के परिवहन अभिकर्त्ता के विरूद्ध बड़े पैमाने पर अनाज के कालाबाजारी के आरोप लगाए गए हैं। परिवादी द्वारा परिवाद–पत्र में उल्लेख किया गया है कि–

- तीनों जिला के परिवहन अभिकर्त्ता द्वारा नियमित रूप से परिवहन का विपत्र नहीं दिया जाता है।
- परिवहन का विपत्र कई महिनों का एक साथ दिया जाता है।
- कई महिनों का विपत्र एक साथ देने से विपत्र के साथ संलग्न चालान का मिलान सही से नहीं हो पाता है और कई चालान में AGM का जाली हस्ताक्षर रहता है।
- तीनों परिवहन अभिकर्त्ता द्वारा FCI से अनाज का उठाव कर बेच दिया जाता है और जब AGM से साँठ–गाँठ हो जाता है, तब चालान का receiving करा लिया जाता है।
- गिरिडीह DM, JSFC द्वारा JSFC गोदाम में कई ट्रकों के नहीं पहुँचने की सूचना MD, JSFC को देने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई है।
- कई मामलों में FCI से JSFC गोदाम में अनाज के ट्रक नहीं पहुँचने की जानकारी सार्वजनिक होने पर महीनों बाद बैकडेट से दूसरे गोदाम में चालान receive करा कर मामले की लिपापोती कर दी जाती है।
- हाल में मांडर JSFC गोदाम में FCI से निर्गत कई ट्रक अनाज नहीं पहुँचने पर DM, JSFC द्वारा FIR कराया गया था। परंतु इन ट्रकों के किसी दूसरे प्रखण्ड गोदाम में आगमन दिखा कर मामले को समाप्त करने का प्रयास किया गया।
- किसी निर्दिष्ट गोदाम के लिए निर्गत अनाज लदे ट्रक का receiving अधिकारी के साथ मिलीभगत कर किसी दूसरे गोदाम में दिखाया जाता है।

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261
Website:-www.jharkhandsfc.in

स्पष्ट रूप से आरोप अत्यन्त गम्भीर प्रकृति के हैं। अतः मामले की गहनता से जाँच किया जाना आवश्यक है। अतः परिवाद–पत्र की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि परिवाद–पत्र में उल्लेखित आरोपों की शीघ्रताशीघ्र मामले की वरीय पदाधिकारी से जाँच कराकर आवश्यक कार्रवाई किया जाए, ताकि राज्य के NFSA लाभुकों के उनके अहर्त्ता के अनुरूप निर्बाध रूप से खाद्यान्न मिल सके।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

विश्वासभाजन

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261
Website:-www.jharkhandsfc.in

दिनांक – 26/04/2023

सेवा में,

सचिव,

खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोगता मामले विभाग

झारखण्ड।

विषय – राज्य के कई जिलों में FCI से JSFC गोदाम के Transportation में अनियमितता बरतने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि **FCI से JSFC** गोदाम में खाद्यान्न के परिवहन में शामिल कई परिवहन अभिकर्ता द्वारा बड़े पैमाने पर अनाज की कालाबाजारी की जा रही है। इस घोटाले के कारण बड़ी संख्या में लाभुकों को अनाज नहीं मिल पा रहा है। प्राप्त सूचनानुसार देवघर, गिरिडीह एवं सरायकेला–खरसावां जिलों के परिवहन अभिकर्ता एक–एक वर्ष तक परिवहन का विपत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है। कई महीनों का विपत्र एक साथ भुगतान हेतु प्रस्तुत करने से संलग्न चालकों का मिलान सही से नहीं हो पाता एवं करोड़ों रुपए के विपत्र का भुगतान एक साथ कर दिया जाता है। इन तीनों ट्रांसपोर्टरों द्वारा FCI से चावल उठाव कर बेच दिया जाता है और चालान अपने पास ही रखते हैं। कुछ मामलों में AGM के साठ–गाठ हो जाने पर चालान बाद के समय में भी Receive करा लिया जाता है और कुछ मामलों में चालान पर AGM का जाली हस्ताक्षर कर भुगतान के लिए DM ऑफिस को दे दिया जाता है। एक साथ एक वर्ष का विपत्र होने के कारण चालान की जांच नहीं हो पाती और भुगतान हो जाता है। गिरिडीह DM द्वारा कई बार खाद्यान्न से लदे ट्रकों के JSFC गोदाम में नहीं पहुंचने पर MD को लिखा जाता रहा है। इस माह में भी लिखा गया है परंतु MD को गिरिडीह के Transporter से ना जाने कैसा रिश्ता है कि आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जांच से अन्य जिलों की स्थिति का पता चल सकता है।

FCI से JSFC खाद्यान्न परिवहन में शामिल इन Transporter द्वारा पकडे जाने पर दूसरे प्रखंड के गोदाम में उन ट्रकों का Receiving बिना अधिकारियों के साठ–गाठ के संभव नहीं है। इस तरह के मामले में Same Time Online Receipt नहीं होता है महीनों बाद चालान को Back Date में रिसिव कर लिया जाता है। हाल में ही रांची जिला के मांडर गोदाम में FCI से निर्गत चावल नहीं पहुंच पाने पर DM,JSFC रांची द्वारा FIR कराया गया था। परंतु उन ट्रकों के किसी दूसरे प्रखंड गोदाम में आगमन दिखा कर मामले को समाप्त करने का प्रयास किया गया। दूसरे गोदाम के लिए निर्गत चावल को कोई दूसरे गोदाम का AGM Receive कर सकता है ? स्पष्ट

(24)

रूप से नहीं कर सकता है। अधिकारियों और परिवहन अभिकर्ता के मिलीभगत से इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है एवं कभी–कभी मामले के तूल पकड़ने पर दूसरे प्रखंड में Receiving दिखाकर मामले को ठण्डे बस्ते में डाल दिया जाता है।

उपरोक्त लिखे मामलों में Transporter, AGM, DM और MD के साठ–गाठ से बड़े पैमाने पर अनाज की कालाबाजारी की जा रही है। जिसका प्रतिकूल प्रभाव समाज के निर्धनतम NFSA लाभुकों पर पड़ रहा है। उनसे दो–तीन बार अंगूठे का निशान लेकर थोड़ा मोड़ा अनाज दे दिया जाता है। आरोप दायर करने पर डरा धमका कर या थोड़ा अनाज देकर मामले को खत्म कर दिया जाता है।

अतः अनुरोध है कि गरीब जनता के हितों का ख्याल रखते हुए कालाबाजारीयों पर उक्त मामलों में शख्त कार्रवाई करने कि कृपा की जाए।

आपका विश्वासी

सुरेश महतो

प्रतिलिपि – चेयरमैन, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, हरमू ,राँची।